

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II,
Dated 7th June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II / Rakchham Chitkul Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-2/99-II dated 7.9.2001, to declare **Rakchham Chitkul as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 304.00 sq. km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was been followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the said Act is pleased to declare an area of 304.00 sq. km of Rakchham Chitkul as '**Rakchham Chitkul Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment, in supersession of previous notification No. FFE-B-F(6)-2/99-II dated 7.9.2001.

The limits of **Rakchham Chitkul Wildlife Sanctuary** shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Rakchham Chitkul Wildlife Sanctuary.
1.	Rakchham Chitkul	i) Kinnaur ii) Sarahan (Wildlife) Division	<p>NORTH: The Boundary starts from the point 5983 mtr passing through height points of 5990 mtr, 5290 mtr. to Dabbling 6080 mtr., 5635 mtr., 5655 mtr., 6032 mtr. and 5545 mtr. upto Charang Ghatti ridge to point 5810 mtr.</p> <p>EAST: From the point 5810 mtr. downwards to Baspa River across Jorya Garang upto Borasu Ghatti.</p> <p>SOUTH: Starting from Borasu Ghatti on Himachal Pradesh-Uttaranchal border passing through Devkidhar from the high points of 5760 mtr., 5930 mtr., 5877 mtr., 5480 mtr., 5889 mtr, Khimloga pass 5712 mtr. and further down to 5424 mtr. along Singa Ghatti upto meeting point of Shimla, Uttaranchal & Sangla Tehsil boundary.</p> <p>WEST: From Singa Ghatti passing through high points 5260 mtr., 5820 mtr. across Hania Glaciator and then along the Singa Khad down to Chispin. From there</p>

			the boundary goes upstream along Baspa river upto Rim Darang nalla then upstream along Rim Darang nalla passing through nalla to the North upto high point 3930 mtr. then passing through Shilpya thatch and point 4789 mtr, crossing Shushang nalla upto Mangsa Garang, Gor Garang 4435 mtr., Khoragla Garang to high point 4440 mtr. and north upto peak 5983 mtr.
--	--	--	--

This area is situated within the Geo-coordinates **North** Lat.31°28'37"N & Long.78 ° 22' 30"E **East** Lat.31°20'00"N & Long.78° 31'30"E, **South** Lat.31°14'22"N & Long.78°24'53"E **West** Lat.31°20'00"N & Long.78°17'34"E which falls on Survey of India topo sheet No. 53 I/7, 53 I/8, 53 I/11 on scale 1: 50,000.


Area of Rakchham Chitkul Wildlife Sanctuary= 304.00 sq. km.
By Order

Principal Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

Endst. No As above
Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.


Under Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

b,
e
th
ial

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II रकछम छितकुल तारीख शिमला-2, 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-2/99-II तारीख 7-9-2001 द्वारा 304.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र रकछम छितकुल को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-2/99-II तारीख 7-9-2001 के अधिक्रमण में वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 304.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से रकछम छितकुल वन्य जीव अभयारण्य घोषित करती हैं ।

रकछम छितकुल वन्य जीव अभयारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभयारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	रकछम छितकुल वन्य जीव अभयारण्य की सीमाएं
1	रकछम छितकुल	i) किन्नौर ii) सराहन (वन्य जीव) मण्डल,	<p>उत्तर:- सीमा बिन्दू 5983 मीटर से आरम्भ होती हुई ऊंचाई बिन्दू 5990 मीटर, 5290 मीटर से डबोलिंग 6080 मीटर, 5635 मीटर, 5655 मीटर, 6032 मीटर और 5545 मीटर से चरांग घाटी के चोटी बिन्दू 5810 मीटर तक ।</p> <p>पूर्व:- बिन्दू 5810 मीटर से नीचे की ओर बास्या नदी के साथ जोरया गरंग से बोरसू घाटी तक ।</p> <p>दक्षिण:- बोरसू घाटी से हिमाचल और उत्तराखण्ड की सीमा के साथ-साथ देवकीधार से ऊंचाई बिन्दू 5760 मीटर, 5930 मीटर, 5877 मीटर, 5480 मीटर, 5889 मीटर, खिमलोगा पास 5712 मीटर और उसके बाद नीचे की ओर सिंगा घाटी के साथ-साथ 5424 मीटर से शिमला, उत्तराखण्ड व सांगला तहसील की सीमा के मिलान बिन्दू तक ।</p> <p>पश्चिम:- सिंगा घाटी के साथ-साथ ऊंचाई बिन्दू 5260 मीटर, 5820 मीटर हनिया हिम नदी के साथ और उसके बाद सिंगा खड के साथ नीचे की ओर चिसपिन से सीमा ऊपर की ओर बास्या नदी में जाती</p>

			हुई रिम दरंग नाला में ऊपर की ओर जाती हुई फिर नाले को पार करते हुए शिलप्या थाच और बिन्दू 4789 मीटर से शुशंग नाला से मंगसा गरंग, गोर गरंग 4435 मीटर, खरोगला गरंग से ऊंचाई बिन्दू 4440 मीटर और चोटी 5983 मीटर उत्तर तक ।
--	--	--	---

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर (अक्षांश 31° 28' 37" उत्तर और देशान्तर 78° 22' 30" पूर्व) । पूर्व (अक्षांश 31° 20' 00" उत्तर और देशान्तर 78° 31' 30" पूर्व) । दक्षिण (अक्षांश 31° 14' 22" उत्तर और देशान्तर 78° 24' 53" पूर्व) और पश्चिम (अक्षांश 31° 20' 00" उत्तर और देशान्तर 78° 17' 34" पूर्व) । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53आई/7, 53आई/8 और 53आई/11 (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाता है ।

क्षेत्रफल: 304.00 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि ।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापीं जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।